


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क. २५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : gg.v.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of
2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : gg.v.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक २०२/बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०१३

बिलासपुर दिनांक : १७/०५/२०१३

॥ अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक ८६/बै.प्र./२०१२ बिलासपुर दिनांक १५.०९.२०१२, क्रमांक ११२/बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०१२ दिनांक २७.१२.२०१२ एवं क्रमांक १३८/बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०१३ दिनांक २५.०३.२०१३ के अनुक्रम में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ के परिचय १३ (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है : -

१. १३(१)(ii) सम कुलपति - प्रो० एम.एस.के. खोखर
२. १३(१)(iii) अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता
 - १) जीवविज्ञान - डॉ० के.एल. तिवारी, आचार्य-बायोटेक्नालॉजी के स्थान पर
- प्रो० एस.के. चतुर्वेदी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र
३. १३(१)(iv) शिक्षण विभाग/केन्द्र के विभागाध्यक्ष
 - १) बायोटेक्नालॉजी - डॉ. के.एल. तिवारी, आचार्य के स्थान पर
- डॉ. बी.एन. तिवारी, आचार्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद् के कार्यकाल के साथ अथवा पदेन पद के कार्यकाल, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

१७/०५/१३
उप-कुलसचिव (प्रशा.)

पृ०क्रमांक २०३/बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०१३

बिलासपुर दिनांक : १७/०५/२०१३

प्रतिलिपि -

०१. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
०२. माननीय कुलपति महोदय के सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
०३. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०४. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

सहा. कुलसचिव (बै.प्र.)